

अनुमति की शर्तें ।

- (i) सख्त मरल/धुल्ले के निर्माण की स्वीकृति स्वामिता रिक्त नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विकल्प (साविक, राजकीय, अमितगत या अन्य) होने की दिशा में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करने ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नगरी के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त ही जा सकती है ।

एकल खिड़की केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 356 दिनांक 05/11/2020

प्रार्थी श्रीमती सुनील जी व बालकृष्ण

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (1) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 33458/- जमा

करिये रसीद संख्या 2069/1689, 1690

दिनांक 05/11/2020 को जमा करा दी है ।

90 6/11/2020

सहायक नगर नियोजक

नगर निगम, जोधपुर

पी.न।
आवासीय

पिनो = 53 ग्राम बोगाघो नी बली
खमरा संख्या 22573

732929 0155